

प्रेस नोट दिनांक 17.08.2026

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 04 अदद अवैध देशी बम के साथ 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जाई उर्फ बशीर को गिरफ्तार किया गया।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जाई उर्फ बशीर के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़ सहित अन्य जनपद में लूट, गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, हत्या के प्रयास, यू0पी0 गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों के कुल 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना उदयपुर पुलिस के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का० गिरीश कुमार व का० विधिचन्द्र व का० रवि कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, भ्रमण, संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर पूरे निहाल सिंह चाहिन के पास स्थित मकान के बाहर दरवाजे पर ग्राम चाहिन के पास से 01 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जाई उर्फ बशीर पुत्र मो० अलेमान उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 04 अदद अवैध देशी बम बरामद हुए।

उक्त बरामदगी के संबंध में थाना उदयपुर पर मु०अ०सं० 161/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त का विवरण-

1. जाई उर्फ बशीर पुत्र मो० अलेमान उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाई उर्फ बशीर पुत्र मोहम्मद अलेमान, निवासी ग्राम कुरैशी का पुरवा, मजरे राहटीकर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़। हिस्ट्रीशीट नं० 23A। -

1. मु०अ०सं० 62/12, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु०अ०सं० 123/15, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु०अ०सं० 127/15, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
4. मु०अ०सं० 179/16, धारा 392/323/506 भादवि, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
5. मु०अ०सं० 184/18, धारा 147/148/149/323/332/336/353/307/504/506 भादवि व 7 CL A ACT, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
6. मु०अ०सं० 40/19, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु०अ०सं० 58/17, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु०अ०सं० 43/17, धारा 3/5/8 अधिनियम व 11 गोवध/पशु क्रूरता अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु०अ०सं० 214/15, धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु०अ०सं० 142/15, धारा 110 जी, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु०अ०सं० 209/11, धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 DP ACT, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
12. मु०अ०सं० 173/22, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना डीह, जनपद रायबरेली।
13. मु०अ०सं० 18/2019, धारा 3(1) यू०पी० गुण्डा अधिनियम, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
14. मु०अ०सं० 127/24, धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333 बीएनएस, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
15. मु०अ०सं० 130/24, धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।
16. मु०अ०सं० 161/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद अवैध देशी बम।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संजय यादव मय हमराह का0 गिरीश कुमार व का0 विधिचन्द व का0 रवि कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 असलम को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत राजापुर खरहर पृथ्वीगंज रानीगंज बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2026 को प्रार्थिनी रुबीना बानो निवासी ग्राम विष्णुपुर थाना रानीगंज के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर अतहर, असलम, निजामुद्दीन, शाहिद, अलफिसा बानो एवं नसरुल बानो आदि द्वारा एक राय होकर लाठी-डंडा व धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। घटना में प्रार्थिनी की सास शमशुल निशा के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। शोर मचाने पर आरोपीगण गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। जिसके संबंध में थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1)/352/351 (3) बी0एन0एस0 बनाम 07 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज के SHO प्रदीप कुमार मय हमराह कां0 नारायण जी, कां0 दिलीप कुमार, रि0म0कां0 प्रियंका गुप्ता व रि0म0कां0 गुन्जना यादव चालक हे0कां0 मनोज कुमार भटनागर मय चौकी प्रभारी उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू, रि0का0 रचित सिंह व रि0का0 जगन्नाथ यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 127/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/109 (1)/352/351 (3) बी0एन0एस0 से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 असलम उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र इशितयाक अहमद निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत राजापुर खरहर पृथ्वीगंज रानीगंज बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 असलम उम्र करीब 31 वर्ष पुत्र इशितयाक अहमद निवासी ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

SHO प्रदीप कुमार मय हमराह कां0 नारायण जी, कां0 दिलीप कुमार, रि0म0कां0 प्रियंका गुप्ता व रि0म0कां0 गुन्जना यादव चालक हे0कां0 मनोज कुमार भटनागर मय चौकी प्रभारी उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 विकास बाबू, रि0का0 रचित सिंह व रि0का0 जगन्नाथ यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़

मीरनपुर आवला बगिया के पास से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कन्धई पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही

थाना कन्धई पुलिस द्वारा मीरनपुर आवला बगिया के पास से 01 अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धई पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, रात्रि गश्त एवं वांछित/सक्रिय अपराधियों की तलाश के दौरान प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त प्रमोद सिंह के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़, वाराणसी एवं रायबरेली में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट एवं धोखाधड़ी सहित विभिन्न गंभीर अपराधों से संबंधित कुल 11 अभियोग पंजीकृत हैं।

दिनांक 17.08.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कन्धई श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, चौकी प्रभारी ताला, थाना कन्धई मय हमराह पुलिस बल द्वारा ग्राम राजापुर स्थित नहर पुलिया तिराहे के पास चेकिंग/गश्त की जा रही थी।

इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर मीरनपुर आवला बगिया के पास खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 06:30 बजे मीरनपुर आवला बगिया के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कन्धई पर मु0अ0सं0 185/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. प्रमोद सिंह पुत्र राजपति सिंह, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी ग्राम ताला, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 133/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 46/03 धारा 379/411 भादवि, थाना लंका, जनपद वाराणसी।
3. मु0अ0सं0 142/03 धारा 379 भादवि, थाना लंका, जनपद वाराणसी।
4. मु0अ0सं0 57/03 धारा 307/504 भादवि, थाना जगतपुर, जनपद रायबरेली।
5. मु0अ0सं0 176/03 धारा 379/411/420 भादवि, थाना को0 रायबरेली, जनपद रायबरेली।
6. मु0अ0सं0 543/10 धारा 324 भादवि, थाना को0 नगर, जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 293/10 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 214/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 53/10 धारा 356/392/411 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 47/10 धारा 392/419/420/467/468/471 भादवि, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 185/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कन्धई, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उ0नि0 सुरेश कुमार यादव, चौकी प्रभारी ताला, थाना कन्धई

उ0नि0 अनूप कुमार यादव, थाना कन्धई

हे0का0 राजेश कुमार, थाना कन्धई

का0 विशाल वर्मा, थाना कन्धई